न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ
पीठासीन अधिकारी सुश्री अंशुल आमेरिया (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 10/2021

अनवान

1. श्री भैरू लाल पुत्र श्री देबी भाण्ड निवासी गाडरीखेडा, देवली तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज.)

—प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल पुत्र श्री भैरू लाल बैरवा निवासी—सांगानेर, भीलवाडा तह एवं जिला भीलवाडा(राज)
2. श्रीमती नानी पत्नी श्री बागा भाण्ड निवासी—गाडरीखेडा, देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. नन्दा पुत्र श्री कजोड लुहार निवासी देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. सूर्यवीर सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह राठौड निवासी पानी की टंकी के पास वाटर वर्क्स के सामने जवाहरनगर, भीलवाडा(राज.)
5. श्रीमती रामी देवी पत्नी श्री नानू गाडरी निवासी गाडरीखेडा देवली तह हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
6. भगवान लाल पुत्र श्री नानू गाडरी निवासी गाडरीखेडा देवली तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
7. राधेश्याम पुत्र श्री गंगाराम बलाई निवासी पांसल तह एवं जिला भीलवाडा(राज.)
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956
निर्णय दिनांक 23.03.2021

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 01.02.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा** में उसके खाते **की खाता संख्या 361 की कृषि भूमि की आ.न. 1782/521 रकबा 1.6565 है. एवं आराजी नम्बर 1804/521 रकबा 0.0253 है. कुल किता 02 रकबा 1.6818 है. भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.02.2021 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 1,2,4,5,6,7,8 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.09.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 03 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 03 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2021.09.10 15:57:14 IST
Reason: SelfAttested

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेशित किया जाता है कि **ग्राम देवली पटवार हल्का देवली भू.अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बरडौद तह हमीरगढ जिला भीलवाडा** में **उसके खाते की खाता संख्या 361 की कृषि भूमि की आ.न. 1782/521 रकबा 1.6565 है. एवं आराजी नम्बर 1804/521 रकबा 0.0253 है. कुल किता 02 रकबा 1.6818 है. भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 500/— पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ